

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 96/2020 GCMS No. 2020/00190

प्रार्थी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

आदेश

दिनांक :- 9.10.2020

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा ग्राम रसाल पटवार हल्का रसाल तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 1328/1269 रकबा 0.3413 हैक्टर की तरमीम नक्शे लट्टे में तहसील कुचामनसिटी ऑन लाईन हुई उस समय नक्शे में तरमीम की गई, इसी क्रम में ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 1328/1269 रकबा 0.3413 हैक्टर की तरमीम नक्शे लट्टे में सुव्यवस्थित ढग से मौके अनुसार शुद्ध रूप से अंकित की हुई है इस तरमीम को ऑन लाईन भू-नक्शा में तरमीम कार्य करते समय करवाई गई परन्तु खसरा नम्बर 1328/1269 रकबा 0.3413 हैक्टर की तरमीम ऑन लाईन भू-नक्शे में लिपिकीय भूल से अशुद्ध रूप से दर्ज हो गई, उक्त खसरा नम्बर की तरमीम ऑन लाईन भू-नक्शा में नक्शा लट्टा के मुताबिक नहीं होकर लिपिकीय त्रुटि के कारण अशुद्ध रूप से दर्ज हो गई, जिसे शुद्ध रूप से करने हेतु आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 10.08.2020, एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रदान की है। तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया, जिससे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी राजस्व अभिलेख/नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का 10.08.2020 अनुसार दर्ज करे, मौका रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 9.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(बाबूलाल जाट)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

